



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 388 राँची, बुधवार,

26 अगस्त, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 अगस्त, 2020 ई०।

संख्या:-11/बंदी विविध-07/2019- 2981-- लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक-17.07.2020 एवं 20.07.2020 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	पूरा पता	सत्रवाद सं. एवं धारा
1	2	3	4
1	चमरू महतो, पे.- स्व. डोमन महतो, उम्र- 89 वर्ष लगभग (वृद्ध)	ग्राम- तलसवार, थाना- बड़कागाँव, जिला- हजारीबाग।	सत्रवाद संख्या- 307/87, बड़कागाँव थाना कांड संख्या-73/85, जी.आर.- 1536/85, धारा- 302/34 भा.द.वि.
2	गल्लु महतो, पे.- स्व. डोमन महतो, उम्र- 84 वर्ष लगभग (वृद्ध)	ग्राम- तलसवार, थाना- बड़कागाँव, जिला- हजारीबाग।	सत्रवाद संख्या- 307/87, बड़कागाँव थाना कांड संख्या-73/85, जी.आर.- 1536/85, धारा- 302/34 भा.द.वि.

3	परमेश्वर विश्वकर्मा, पे.- खगपत विश्वकर्मा, उम्र- 65 वर्ष लगभग (वृद्ध)	ग्राम- कुरुमडीहा, थाना- गिरिडीह (मु.), जिला- गिरिडीह।	सत्रवाद संख्या- 173/04, गिरिडीह (मु.) थाना कांड संख्या- 47/04, धारा- 376 भा.द.वि.
4	खेमलाल साव, पे.- स्व. मलु साव, उम्र- 51 वर्ष (लगभग)।	ग्राम- चोकाद, थाना- गोला, जिला- हजारीबाग (वर्तमान में रामगढ़)।	सत्रवाद संख्या- 48/05, गोला थाना कांड संख्या- 50/04, जी.आर.- 2121/04, धारा- 302 भा.द.वि.
5	परमेश्वर महतो, पे.- घमण्डु महतो, उम्र- 49 वर्ष (लगभग)।	ग्राम- गया पहाड़ी, थाना- बरकट्टा, जिला- हजारीबाग।	सत्रवाद संख्या- 117/89, बरकट्टा थाना कांड संख्या- 66/86, जी.आर.- 574/86, धारा-302, 307, 149, 323 भा.द.वि.
6	दुलार पंडित, पे. जगरनाथ पंडित, उम्र- 46 वर्ष लगभग।	ग्राम- बाघनाला, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह।	सत्रवाद संख्या- 148/90, गोमो (रेल) थाना कांड संख्या-02/90 जी.आर.- 101/90, धारा- 302/34 भा.द.वि.
7	शिवलाल महतो, पे.- घमण्डु महतो, उम्र- 46 वर्ष।	ग्राम- गया पहाड़ी, थाना- बरकट्टा, जिला- हजारीबाग।	सत्रवाद संख्या- 117/89, बरकट्टा थाना कांड संख्या- 66/86, जी.आर.- 574/86, धारा-302, 307, 149, 323 भा.द.वि.
8	सुभाष बोस उर्फ खेपा बाबा, पे.- मनिन्द्र नारायण बोस उर्फ खोखा दा, उम्र- 80 वर्ष लगभग। (वृद्ध)	ग्राम- खेपा आश्रम, ऊपर धौड़ा, थाना- भुरकुण्डा, जिला- हजारीबाग (वर्तमान में रामगढ़)	सत्रवाद संख्या- 218/04, पररातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या- 209/03, जी.आर.- 2910/03, धारा- 302/201 IPC
9	राम प्रसाद राय, पे.- स्व. सुकर राय, उम्र- 52 वर्ष लगभग।	ग्राम- बंडही, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह।	सत्रवाद संख्या- 131/06, धनवार थाना काण्ड संख्या- 87/05, धारा- 302 IPC
10	मुंशी टुडू, पे.- स्व. झरि टुडू उर्फ करण टुडू, उम्र- 44 वर्ष (लगभग)।	ग्राम- कर्मिकुंड, थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा।	सत्रवाद संख्या- 24/04, धनवार थाना कांड संख्या- 96/03, धारा- 364A, 395, 412, 120B भा.द.वि.

2. खुला जेल सह पुनर्वास कैम्प, हजारीबाग में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदी को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्वद की दिनांक-17.07.2020 एवं 20.07.2020 को आहुत बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	पूरा पता	सत्रवाद सं. एवं धारा
1	2	3	4
1	पवन पासवान, पे.- स्व. राजेन्द्र हाजरा, उम्र- 38 वर्ष।	ग्राम- महादेव वरण, थाना- बोरियो (मु.), जिला- साहेबगंज।	S.C.No.-101/04 बोरियो (एम) थाना काण्ड संख्या - 102/03, जी0 आर0-284/03 धारा-304 बी/34, 316 भा.द.वि.

3. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
